न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 29 / 2020
तारीख दायरा – 18.09.2020

प्रार्थीनी :–

मंजू देवी पत्नि प्रेमसुख जाति– आचार्य
निवासी– सादडी तहसील–देसूरी जिला पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र रतनलालजी जाति– माली
   निवासी– सुथारों का गुडा तहसील–देसूरी जिला–पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी(प्रतिनिधि)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली अधिवक्ता– प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से कोई अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं।
3. नायब तहसीलदार देसूरी राजस्थान सरकार पैरोकार।

–: आदेश :– दिनांक– 30/7/2021

प्रार्थीनी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 का अधिनियम संख्या 03 की धारा 251क की उपधारा (2) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीनी ने अपने आवेदन के साथ सादडी चक प्रथम की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 721 नया प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी कृषि भूमि सादडी चक प्रथम के खसरा नम्बर 903 रकबा 0.5200 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु 25 फिट चौडा रास्ते की भूमि हेतु अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी सुथारों का गुडा तहसील देसूरी जिला–पाली की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 902 रकबा 1.5100 हेक्टर की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे रास्ता 25 फिट चौडा संलग्न नक्शे में बरंगलाल मार्क अ, स, ब तक दर्शित है, की मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने बाद नोटि[illegible] के उपरांत जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही अधिव[illegible] अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि सादडी चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रथम के खसरा नम्बर 903 रकबा 0.5200 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल ने आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई आने–जाने का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। तथा प्रस्तावित रास्ते के लिये प्रार्थीया ने सादडी चक प्रथम के खसरा नम्बर 902 रकबा 1.5100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की माठ के सहारे–सहारे रास्ते की मांग की है। उक्त भूमि खातेदार जितेन्द्र कुमार पुत्र रतनलाल माली की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे 25 फिट चौडा रास्ता नया मार्ग आवागमन हेतु चाहा है।

इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2021/127 दिनांक 18.5.2021 के द्वारा तहसीलदार देसूरी से मौका जाचं रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/कोर्ट/607 दिनांक 28.07.2021 के जरिये जांच रिपोर्ट मय मौका फर्द नक्शा ट्रेस मय नजरी नक्शा के जांच रिपोर्ट मय अनुशंषा के प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प आने–जाने के लिए नहीं है। प्रस्तावित रास्ता के लिए सादडी चक प्रथम के खसरा नम्बर 902 रकबा 1.5100 हेक्टर की माठ के सहारे–सहारे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने पर खसरा नम्बर 902 में से कुल रकबा 56x4 वर्ग मीटर =0.0224 हेक्टर भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होगी। उक्त भूमि खातेदार जितेन्द्र कुमार पुत्र रतनलाल माली के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। मौका फर्द में नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार लाल स्याही से अंकित रास्ता माठ के सहारे–सहारे नया मार्ग की मांग की है।

तहसीलदार देसूरी के द्वारा प्रकरण में रास्ते हेतु रकबा 56x4 वर्ग मीटर =0.0224 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की पंजीयन बाजार दर रूपये 612000/– रू. प्रति हेक्टर बताई गई है।

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट नजरी नक्शा मय नक्शा ट्रेस मौका फर्द एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 जितेन्द्र कुमार पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी सुथारों का गुडा बाद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थीनी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सादडी चक प्रथम के खसरा नम्बर 903 रकबा 0.5200 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 जितेन्द्र कुमार पुत्र रतनलाल माली निवासी सुथारों का गुडा के सादडी चक प्रथम में खसरा नम्बर 902 रकबा 1.5100 हेक्टर किस्म बारानी अव्व्ल की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे 25 फिट चौडाई में कुल प्रभावित रकबा 56x4 वर्ग मीटर =0.0224 हेक्टर की राशि ....13710/-.... बनती है जिसकी नियमानुसार डबल राशि ....27420/-.... बनती है। प्रार्थीनी उक्त राशि रूपये ....27420/-.... अनुदान भुगतान अप्रार्थी संख्या 01 को करना होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीनी को 25 फिट चौडे रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. [illegible] अनुसार प्रस्तावित रास्ता 0.0224 हेक्टर की अनुदान राशि रूपये [illegible] की [illegible] प्रार्थीनी खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 जितेन्द्र कुमार पुत्र रतनलाल [illegible] निवासी सुथारों का गुडा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

भुगतान कराने के पश्चात प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम सादडी चक प्रथम खसरा नम्बर 903 रकबा 0.5200 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 902 रकबा 1.5100 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल की दक्षिणी माट के सहारे–सहारे 25 फिट चौडाई रास्ता 56x4 वर्ग मीटर =0.0224 हेक्टर रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। नक्शे में तरमीम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 30/7/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:56 IST
Reason: SelfAttested